न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 43 / 17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री भोमसिंह (विक्रेता) (एफबीओ) फर्म मैसर्स जय श्री भरका देवी आईसक्रीम 20, अमर नगर, माता का थान, जोधपुर। 2. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री गनपत सिंहल राठौड़, (मालिक) मैसर्स जय श्री भरका देवी आईसक्रीम 20, अमन नगर, माता का थान, जोधपुर। नि. 59 हनवंत बी, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर। 342001।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स जय श्री भरका देवी आईसक्रीम 20, अमर नगर, माता का थान, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 20 लीटर आईसक्रीम शाही गुलाब का स्टॉक आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त आईसक्रीम शाही गुलाब की 1200 ग्राम वास्ते नमूना संख्या एडी–391 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 286 / – नगद देकर एक स्टील की भगौनी में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा आईसक्रीम शाही गुलाब 1200 ग्राम को अच्छी तरह से हिला मिलाकर चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्रत्येक बोतल में 36 बूदें प्रीजरवेटीव फॉर्मलिंग की डाली अच्छी तरह से हिलाया और एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना बोतलों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–391 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–391 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–391 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईसक्रीम शाही गुलाब के चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–391 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 583 / एक्ट / 2016 / 613 दिनांक 10.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–391 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।

3. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया की जिसमें निवेदन किया गया की अप्रार्थीगण द्वार आईसक्रीम अच्छी गुणवता वाली आईसक्रीम तैयार करने का प्रयास किया जाता हैं केवल फैट के अलावा आईसक्रीम सभी मानकों पर खरी उतरती है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन के पश्चात पाया की पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपील कर सकते थे। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण 1 व 2 पर क्रमशः (1) रूपये 25,000/- अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र व (2) रूपये 25000/- अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 24/7/17 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24/7/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः- न्यायिक/कोर्ट/2017/1644-1647 दिनांक :- 24-7-2017

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.)
03. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री भोमसिंह (एफबीओ) फर्म मैसर्स जय श्री भरका देवी आईसक्रीम 20, अधिकारी, जोधपुर अमर नगर, माता का थान, जोधपुर।
04. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री गनपत सिंहल राठौड, (मालिक) मैसर्स जय श्री भरका देवी आईसक्रीम 20, अमन नगर, माता का थान, जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर